भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3118
19.03.2026 को उत्तर के लिए

माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन की निगरानी

3118 श्रीमती संगीता यादवः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स के संपर्क में आने से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों, जिसमें विषाक्तता, जैव संचय और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों पर दीर्घकालिक प्रभाव शामिल है, का आकलन किया है;

(ख) क्या उद्योगों, अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट धाराओं से माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन को सीमित करने के लिए कोई नियामक मानक या निगरानी प्रोटोकॉल अधिसूचित किए गए हैं;

(ग) क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के प्रावधान माइक्रोप्लास्टिक के उत्पादन की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान करते हैं;

(घ) क्या नैनोप्लास्टिक का पता लगाने और उनके शमन से संबंधित अनुसंधान के लिए कोई निधि आवंटित की गई है; और

(ङ) इस मामले पर शमन उपायों को सुदृढ़ करने, जन-जागरूकता बढ़ाने तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) - राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एनआईआरईएच) ने मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति पर किए गए अध्ययनों की व्यवस्थित समीक्षा की है। साथ ही, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), आईसीएमआर, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) की एक समिति ने सीपीसीबी के समन्वय के अधीन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, इन अध्ययनों में माइक्रोप्लास्टिक के मानव शरीर पर पड़ने वाले शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

भारतीय मानक आईएस 4707 (भाग 2): 2017, कॉस्मेटिक कच्चे माल और सहायक पदार्थों का वर्गीकरण (चौथा संशोधन), के संशोधन संख्या 2 के अनुसार, 5 मिमी या उससे कम वाले प्लास्टिक माइक्रोबीड्स, त्वचा को एक्सफोलिएट या साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अघुलनशील, ठोस प्लास्टिक कण, जो रिंस-ऑफ पर्सनल केयर उत्पादों में मौजूद होते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत जारी सौंदर्य प्रसाधन नियमों के अनुसार, इन्हें किसी भी सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद में नहीं मिलाया जाना चाहिए।

माइक्रोप्लास्टिक सहित अव्यवस्थित और अप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 01 जुलाई 2022 से कम उपयोगिता और अधिक कचरा फैलाने वाले कुछ विशेष सिंगल-यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी दिशानिर्देश भी अधिसूचित किए हैं। इन दिशानिर्देशों में ईपीआर, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये दिशानिर्देश संधारणीय प्लास्टिक पैकेजिंग की ओर बढ़ने और प्लास्टिक के प्रभाव को कम करने में सहायक हैं। ईपीआर दिशानिर्देशों के 2022 में लागू होने के बाद से अब तक 206 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जा चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। एसबीएम के अंतर्गत जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का एक अलग कारक मौजूद है। भारत सरकार विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में भी सहयोग प्रदान करती है। इन प्रदूषण नियंत्रण कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और नमामि गंगा कार्यक्रम जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कच्चे सीवेज का अवरोधन और अपवर्तन, सीवरेज तंत्र और सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना शामिल है, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और नमामि गंगा कार्यक्रम जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में माइक्रोप्लास्टिक्स पर अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है।

मिशन लाइफ 'LiFE' (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) एक नागरिक-संचालित पहल है जो व्यक्तियों को दैनिक स्वैच्छिक कार्यों के माध्यम से स्थायी जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित और सक्षम बनाने पर केंद्रित है। इसमें अन्य बातों के अलावा, अपशिष्ट कम करने और उसे अलग करने तथा सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने से संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। सभी छत्तीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभिज्ञात सिंगल-यूज प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग समाप्त करने और प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव/प्रशासक की अध्यक्षता में विशेष कार्य बल का गठन किया है। मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात सिंगल-यूज प्लास्टिक उत्पादों के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर के कार्य बल का भी गठन किया गया है। देश में अभिज्ञात सिंगल-यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी निगरानी के लिए, निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्यरत हैं: (क) व्यापक कार्य योजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड, (ख) सिंगल-यूज प्लास्टिक के उन्मूलन संबंधी अनुपालन के लिए सीपीसीबी निगरानी मॉड्यूल, और (ग) सीपीसीबी शिकायत निवारण ऐप।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 जून, 2025 को नई दिल्ली के 'भारत मंडपम' में विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यूईडी) 2025 को 'एक राष्ट्र, एक मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण का अंत' नारे के साथ मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पहले एक महीने तक चले अभियान के तहत देश भर में लगभग 69,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 21 लाख लोगों ने भाग लिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंधित सिंगल-यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के विनिर्माताओं/विक्रेताओं की सूची तैयार की है, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर जारी किया गया। यह सूची व्यापक प्रसार और उपयोग के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर सरकार की मुख्य प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिबंधित सिंगल-यूज प्लास्टिक के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन डब्ल्यूईडी 2025 के दौरान किया गया था। इस प्रदर्शनी में पूरे भारत से 150 स्टार्टअप, रिसाइक्लर और स्थानीय निकायों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और सिंगल-यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर नवीन तकनीकों और सर्वोत्तम कार्य-प्रथाओं का प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण निवारण अभियान (एनपीपीआरसी) 05 जून से 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान में देश भर में 38 लाख से अधिक नागरिकों ने 4.95 लाख क्रियाकलापों में भाग लिया, जिसका आयोजन संबंधित मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों आदि

के सहयोग से किया गया था। इस अभियान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने संबंधी क्रियाकलाप भी शामिल थें। इन क्रियाकलापों के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में, विशेष रूप से अभियान 5.0 के दौरान, अनावश्यक सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एनपीपीआरसी के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सिंगल-यूज प्लास्टिक के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर एक हैकाथॉन का भी आयोजन किया गया था।
